प्रेस नोट दिनांक 27.08.2020

इटावा पुलिस द्वारा गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या करते वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में थाना भरथना पुलिस दिनांक 19.08.20 को पंजीकृत गुमशुदगी गुत्थी सुलझाते हुए योजनबृद्व तरीके से हत्या करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.08.2020 को वादी श्री गोविन्द पुत्र महिपाल सिंह नि0 सरैया थाना भरथना द्वारा थाना भरथना पर दिनांक 10.08.2020 से अपने पिता महिपाल सिंह के गुम होने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना भरथना पर गुमशुदगी दर्ज कर उ0नि0 राजेन्द्र सिंह द्वारा जांच/कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। प्रकरण की गम्भीरता के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशानुसार उक्त गुमशुदगी के सम्बन्ध में थाना भरथना पर मु0अ0सं0 487/20 धारा 364 भादवि अभियोग पंजीकृत कर घटना का अनावरण करने हेतु थाना भरथना पुलिस टीम लगाया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न साक्ष्यों को संकलित करते हुए आज दिनांक 26.08.2020 को 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया है।

पुलिस पूछताछ– पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों से की गयी पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मृतक महिपाल का प्रेम प्रसंग अभियुक्त सतीश कुमार उर्फ छोटे की मां से थे। अभियुक्त सतीश द्वारा पूर्व में भी महिपाल एवं अपनी मां को कई बार साथ देखाकर चेतावनी भी दी गयी थी। कई बार चेतावनी देने के उपरान्त भी न मानने पर योजनाबृद्व तरीके से दिनांक 10.08.2020 को अभियुक्त सतीश द्वारा अपनी मां तथा अपने साथी रविन्द्र उर्फ दुन्ना व संजीव उर्फ संजू को साथ मिलकर महिपाल को वीरेन्द्र बाथम के खेत पर बनी झोपडी पर बुलाया गया तथा महिपाल को शराब पिलाकर नशे की हालत में चारों अभियुक्तों द्वारा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा शव को नाले के किनारे गुरूदयाल के खेत के पास पहले से खोदकर रखे गड्डे में गाड दिया था। अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक महिपाल के शव को बरामद कर लिया है अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम–पता–

ETAWAH POLICE

1. रविन्द्र उर्फ दुन्ना पुत्र झण्डू नि0 नगला गिरन्द थाना भरथना।
2. सतीश उर्फ छोटे पुत्र भजन लाल नि0 सरैया थाना भरथना।
3. संजीव उर्फ संजू पुत्र स्व0 रामगोपाल नि0 सरैया थाना भरथना।
4. मालती उर्फ मालाश्री पत्नी भजनलाल नि0 सरैया थाना भरथना।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 487/20 धारा 364,302,201,120बी व 34 भादवि थाना भरथना।

पुलिस टीम– श्री अनिल कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना भरथना मय टीम।

सोशल मीडिया
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा।

ETAWAH POLICE